



कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार



दूरभाष/फैक्स 01334 226271, email : dfo_hardwar@rediffmail.com
पत्रांक : 2963 / 12-1, हरिद्वार दिनांक 01/02 जनवरी 2023

सेवा में

महाप्रबन्धक (तक0),
सह परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
मकान नं०-181 शास्त्रीपुरम नियर होटल गोदावरी रुड़की (247667)

विषय:-

जगपद तारद्वार के आन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली- सहारनपुर- देहरादून आर्थिक गलियारे के किमी० 19.060 से किमी० 50.700 तक राजमार्ग निर्माण हेतु 1.6535 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/147686/2021)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8वी/यू०सी०पी०/०६/४७/२०२२/एफ०सी०/१४४५, दिनांक २५.०१.२०२३

महोदय

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त शर्तों के अधीन निम्न प्रकार कार्यवाही कर तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति न बदलने से सम्बन्धित स्वीकृति की वचन बद्धता।
- यह शर्त इस वन प्रभाग से अपेक्षित है।
- प्रतिपूरक वनीकरण :-
(क) उक्त शर्त का पालन इस वन प्रभाग द्वारा किया जायेगा तथा प्रतिपूरक वनीकरण व उसके 10 वर्षों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय को मूल प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
(ख) उपरोक्तानुसार कार्यवाही इस वन प्रभाग से की जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तान में पूर्व से ही संलग्न है।
(ग) उक्त शर्त के अनुसार कार्यवाही इस वन प्रभाग व आपके स्तर से की जानी है। आपके द्वारा स्व या नामित की गई एजेन्सी द्वारा इस वन प्रभाग में समन्वय स्थापित कर WLMP बनाकर सम्बन्धित समस्त कार्यवाही कर, WLMP में वर्णित कार्यों एवं स्थलों को E Green Watch Portal पर अंकित कर की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि की सर्वेक्षण, सीमांकन तथा स्तंभन स्थापित से सम्बन्धित धनराशि का विवरण नि प्रकार है :-
प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु व्यय - 13,49,230.00 (तेरह लाख उनपच हजार दो सौ तीस रू० मात्र)
- शुद्ध वर्तमान मूल्य -
(क) भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2022 के दिशा-निर्देशानुसार 1.6535 है० वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन सम्बन्धित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।
(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि हो जो अन्तिम देने के बाद देय हो, से सम्बन्धित वचन बद्धता से सम्बन्धित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- पूर्व में की गई सीमांकन के अनुसार 285 Tree & 01 Saplings से अधिक नहीं होने चाहिए।

Letter

11. परियोजना के तहत सभी देयकों से प्राप्त धनराशि को ई-पोर्टल (<https://Parivesh.nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा की जाएगी। जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है एवं एन0पी0वी0 जमा करने सम्बन्धी पत्र संलग्न है।

(1) वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	:-	1583689.00
(2) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव पर व्यय:-		1349230.00
योग	:-	<u>29,32,919.00</u>

(रु० उनतीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ उन्नीस)

12. उक्त शर्त इस वन प्रभाग से सम्बन्धित है। जिसका प्रभाग द्वारा पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

13. एफ0आर0ए0 2006 के अनुसार आपको निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

पत्र में उल्लिखित शेष अन्य बिन्दुओं के अनुसार आपको शत प्रतिशत अनुपालन करने हेतु वचन बद्धता भी इस कार्यालय में प्रेषित करनी होगी। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की छाया प्रति संलग्न है।

अतः उक्त देयकों में से शर्त संख्या 7 के क्रम संख्या - 1 व 2 से सम्बन्धित धनराशि को उपरोक्त पोर्टल में ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करने के पश्चात नोडल अधिकारी कार्यालय से धनराशि जमा करने की पुष्टि कर चालान एवं समस्त शर्तों की अनुपालन/वचनबद्धता को 03 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा अन्य शर्तों में उल्लिखित वचन बद्धता से सम्बन्धित पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

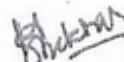
भवदीय

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक / 12-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।


उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

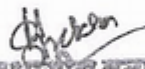
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या
5-3/2011-एफ0सी0 (Vol.I) दि0-06.01.2022 द्वारा पुनरीक्षित एन0पी0वी0 से सम्बन्धित
धनराशि के अनुसार-

परियोजना का नाम - जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-
सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे के किमी0 19.060 से किमी0 50.700 तक राजमार्ग निर्माण हेतु 1.
6535 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव
संख्या FP/UK/Road/147686/2021)

प्रभावित वन भूमि	-	1.6535 है0
हरियाली का घनत्व	-	0.5
ईको क्लास	-	III
प्रस्तावित वन भूमि का मूल्य	-	9,57,780/- है0

प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 जमा करने की धनराशि 1.6535 है0 @ 9,57,780/- है0 = 15,83,689.00

(रू0 पन्द्रह लाख तिरासी हजार छः सौ उननब्बे मात्र)


प्रभोगीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार